उत्तराखण्ड शासन

टेलीफोन 0135-2781201
ईमेल आई info@ukmc.in

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून।

पत्र संख्या 775 / उ.अ.आ. / लोक समस्या निवा / नैनीताल / 2023–24 दिनांक 02 फरवरी, 2026

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
जनपद–नैनीताल।

विषयः– ''लोक समस्या निवारण कार्यक्रम'' के अन्तर्गत श्रीमती फरजाना बेगम, मा0 उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून के दिनांक 07 फरवरी, 2026 को जनपद नैनीताल के भीमताल स्थित विकासभवन सभागार, समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के क्रम मे अवगत कराना है कि **लोक समस्या निवारण कार्यक्रम''** के अन्तर्गत श्रीमती फरजाना बेगम, मा0 उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग द्वारा जनपद नैनीताल के भीमताल में स्थित विकासभवन सभागार में ***दिनांक 07 फरवरी, 2026 दिन शनिवार को पूर्वाहन 11:00*** बजे जनपदीय विभागीय अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं के विकास कार्यों के मूल्याकन एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों एवं जनपदीय अधिकारियों के साथ उनके विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय हेतु संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में आपसी सवाद व अल्पसंख्यक समुदाय को उनके हितों एवं रक्षोपाय संबंधी जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी। मा0 उपाध्यक्ष महोदया द्वारा यह भी निर्देश दिये गये है कि प्रत्येक विभाग अपने–अपने से संबंधित विभागीय योजनाओं का विवरण एवं उनके विभाग द्वारा अल्पसंख्यकों को लाभान्वित किये जाने से संबंधित विवरण सहित स्वयं अनिवार्य रूप से बैठक में उपस्थित होवें।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकासभवन सभागार, भीमताल में अल्पसंख्यक समुदाय को एकत्रित करने एवं निम्न विभागीय अधिकारियों को भी बैठक में उक्तानुवार वांछित सूचनाओं सहित स्वयं उपस्थित होने के साथ ही दिनांक 07.02.2026, को प्रातः 11:00 बजे विकासभवन सभागार, भीमताल को आरक्षित कराने का कष्ट करें:–

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।
3. मुख्य विकास अधिकारी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी।
6. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी।
6. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, नैनीताल।
7. समस्त नगर आयुक्त / नगर अधिकारी, नगर निगम।
7. अधिशासी अभियन्ता, (शहरी / ग्रामीण) जल संस्थान एवं जल निगम।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी।
9. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभकरण।
10. जिला पूर्ति अधिकारी।
11. क्षेत्रीय निदेशक, सेवायोजन, हरिद्वार।
12. जिला अग्रणी बैक अधिकारी।
13. सहायक निदेशक, अर्थ एवं संख्या विभाग।
14. जिला कार्यक्रम अधिकारी।
15. मुख्य कृषि अधिकारी।
16. मुख्य उद्यान अधिकारी।
17. जिला समाज कल्याण अधिकारी।
18. सहायक निदेशक, मत्सय।
19. सहायक निदेशक, दुग्ध विकास।
20. जिला सूचना अधिकारी ।
21. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
22. उपायुक्त श्रम विभाग।
23. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम।
24. जिला युवा कल्याण अधिकारी।
25. सहायक निदशक, रेशम।
26. जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण।
27. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं जलागम ।
28. जिला सहायक निबन्धक, सहकारिता।
29. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग।
30. जिला पर्यटन अधिकारी, हरिद्वार।
31. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग।

आज्ञा से,

(जे.एस.रावत)
सचिव,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
देहरादून।

पृष्ठाकंन संख्या 775.... एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मा0 उपाध्यक्ष जी / मा0 सदस्यगण, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून को उक्तानुसार प्रेषित।
2. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया जिलाधिकारी महोदय से समन्वय स्थापित करते हुए कार्यक्रम में सम्भ्रान्त व्यक्तियों एवं अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को प्रस्तावित कार्यक्रम / बैठक की सूचना देते हुए कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु अल्पसंख्यको हेतु स्वीकृत योजना / धनराशि / निर्माण कार्यों की, कार्ययोजना तैयार कर अन्य समस्त व्यवस्थाएं करने के साथ ही आहूत बैठक में दिये गये निर्देशों संबंधी कार्यवृत्त मा0 आयोग को उपलबध कराने का कष्ट करें।

सचिव,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
देहरादून।